

जब तक भव्य स्वागत की गारंटी नहीं मिलती,
ब्रिटेन नहीं आऊंगा

ट्रॅप ने ब्रिटिश पीएम टरीजा मे से कहा

+ वॉशिंगटन, (आरएनएस)।

डॉनल्ड ट्रॅप ने कहा है कि जबतक ब्रिटेन में उनके जोरदार स्वागत की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक वह यहां आधिकारिक दौरे पर नहीं आएंगे। खबरों के मुताबिक, ट्रॅप ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टरीजा मे से कहा है कि जबतक वह उनके बेहतर स्वागत का आश्वासन नहीं देती है, तब तक वह ब्रिटेन की यात्रा पर नहीं आएंगे। कहा जा रहा है कि ट्रॅप ने टरीजा को निर्देश दिया है कि वह पहले गर्मजोशी से उनका स्वागत करने की तैयारी करें, इसके बाद ही वह अपने दौरे का कार्यक्रम तय करें। द सन अखबार ने ट्रॅप और टरीजा के बीच फोन पर हुई बातचीत की कथित प्रतिलिपि देखकर यह जानकारी दी है। ट्रॅप ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर आने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनकी यह यात्रा टाल दी गई है। माना जा रहा है कि वह अब अगले साल ही यहां आएंगे। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो ट्रॅप ने मे से कहा, टरीजा, पछले कुछ समय से ब्रिटिश मीडिया में मुझे ज्यादा तबज्जो नहीं मिली है। वह मुझे बहुत अच्छी कवरेज नहीं मिली है। ट्रॅप की लिए शर्मिंदी पैदा हो इस शिकायत का जवाब देते हुए ब्रिटिश क्रू ने कहा, आप

पनामा पेपर्स केस में शुरू हो गया है

नवाज के भारत का फैसला

इस्लामाबाद, (आरएनएस)।

पनामा पेपर्स लीक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, वह सोमवार को अपने निर्णायक चरण में पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब अंतिम फैसला सुनाएगा। इसके मद्देनजर सरकार और विपक्षी दल, दोनों ही अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पंजाब के कानून मंत्री राना सलाउँह के मुताबिक, वकीलों की जो टीम अदालत में शरीफ परिवार का बचाव करेगी उनमें ख्वाजा हारिस, अकरम शेख, सलमान अकरम रजा और बैरिस्टर जफारगाह शामिल हैं। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज अपने पास बचे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं इसकी धुर-विरोधी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने कहा है कि अदालत के फैसले में अगर नवाज को सजा मिलती है तो उनकी पार्टी इसका जश्न मनाएगी। दूसरी तरफ नवाज ने रविवार का पूरा दिन अपनी कानून व राजनीतिक टीमों के साथ बातचीत करने में गुजारा। नवाज ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए कानून लडाई लड़ने का संकल्प जताया था। राना सनातन्त्र ने बताया कि शरीफ परिवार सोमवार को छुट्टी रिपोर्ट के खिलाफ अपनी आपत्तियां अदालत के सामने रखेगा। वाणिज्य मंत्री खुर्रम दस्तगir ने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 10-ए को इस्तेमाल कर न्याय सुनिश्चित करने की अपील करेगी।

बीमा कंपनियों के एजेंट जमा कराएं अपना

आधार नंबर: इरड़ा

नई दिल्ली, (आरएनएस)।

बीमा नियामक इरड़ा ने बीमा कंपनियों से अपने एजेंटों का आधार नंबर जमा करने को कहा है। इसका मकसद ऑनलाइन डाटाबेस बनाना है ताकि दोहराव को खत्म किया जा सके। इस डाटाबेस का जिम्मा इंश्योरेस इंफार्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (आईआईबी) के पास होगा। इरड़ा ने कहा कि आईआईबी को पैंटेंट ऑफ सेल्स (पीओएस) की तर्ज पर आधार संख्या और बीमा

देश/छत्तीसगढ़/रायगढ़/विज्ञान

बेटे की चाह में दो साल के मासूम की बलि

इंदूर, (आरएनएस)। बेटे की जन्म की चाह में दो साल के मासूम बच्चे की बलि चढ़ाकर कूर तरीके से हत्या के आरोप में पुलिस ने अंधिविश्वासी स्कूल बस ड्राइवर और उसकी दो परियों को आज गिरफ्तार किया। पुलिस उम महानीरीशक डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि दिल दहला देने वाले मामले में एक निजी स्कूल की बस चलाने वाले मामले की अंधी चाह में उसने और दो परियों से स्वागत किया जाएगा, तब ही मैं वहां आऊंगा। ट्रॅप ने पहले मैं नहीं आऊंगा। मीडिया में आ रही इन खबरों पर प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से अपील तक काई प्रतिक्रिया सही नहीं की गई है।

मालूम हो कि टरीजा मे ट्रॅप को आधिकारिक स्टेट दौरे के लिए आमंत्रित करने वाली थीं, लेकिन ब्रिटेन में 18 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके खिलाफ एक याचिका पर दस्तखत पर किए। इस याचिका के मुताबिक, अमेरिकी सरकार के प्रमुख के तौर पर डॉनल्ड ट्रॅप को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक दौरे पर आने का आमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे ब्रिटेन की रानी के लिए शर्मिंदी पैदा हो सकती है।

बस ड्राइवर दो परियों समेत गिरफ्तार

किलोमीटर दूर गढ़ी बिगौदा गांव के रहने वाले हैं। मिश्रा ने बताया कि बागरी ने सज्जन बाई नाम की अन्य महिला से भी शादी की थी। प्रसूति के बक्स सज्जन बाई की 12 साल पहले मौत हो गयी थी। स्कूल बस ड्राइवर को इस महिला से दो बेटियों थी। लेकिन बेटे की अंधी चाह में उसने और दो परियों से बातचीत की। हालांकि, उसे दोनों परियों से संतान नहीं हो पायी थी। उहोंने बताया कि आरोप है कि बागरी और उसकी दोनों बीवियों-संतोष बाई 28 और पुष्पा 30 को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी जिला मुख्यालय से कीब्री 40

की सलाह पर गढ़ी बिगौदा गांव के अपने पड़ोसी के दो वर्षीय बालक यश को नौ जून को अगवा किया और उसे अपने घर में छिपा दिया। डीआईजी ने आरोपियों से पूछताछ के हवाले से बताया कि तब क्रिया नाम पर नौ जून की देर रात बागरी और उसकी दोनों बीवियों ने कागजों में लगायी जाने वाली नुकीली पिनें मासूम बच्चे के अलग-अलग अंगों पर बेरहमी से चुभीनी शुरू कीं। दर्द से परेशान बच्चा जब बुरी तरह रोने लगा तो कपड़े से उसका

मुंह दबा दिया गया, ताकि उसकी चीखें घर से बाहर न जा सकें। दम घुटने से बच्चे की जल्द ही मौत हो गयी। लेकिन उसके शरीर के साथ कीरब तीन घंटे तक अमानवीय बर्ताव किया गया। मिश्रा ने कहा, बच्चे के शब्द की देखभाव में एस्टर्मॉर्ट रिपोर्ट में इसके बाद तांच कर ही रही है। उहोंने बताया कि पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। उस तांत्रिक की देखभाव तक आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 4- 31 जूलाई 2017 से पहले पांच लाख तक आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 5- 31 जूलाई 2017 से पहले पांच लाख से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 6- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 7- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 8- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 9- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 10- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 11- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 12- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 13- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 14- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 15- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 16- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 17- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 18- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 19- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 20- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 21- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 22- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 23- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 24- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा। 25- 31 जूलाई 2017 से ज्यादा आय वालों